उत्तराखण्ड शासन
गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग
संख्या–26/1/XXI/2008–09
देहरादूनः दिनांकः 18 दिसम्बर, 2009

कार्यालय–ज्ञाप

गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–14/1/2001, दिनांक 28 अप्रैल, 2001 को अतिक्रमित करते हुये अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न विभागों/निगमों/परिषदों/आयोगों आदि में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सलाहकार आदि के पदों पर नियुक्त महानुभाव, जिन्हें मंत्री का दर्जा (स्तर) प्रदान किया गया है, को तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित मानदेय/स्टाफ/भत्ते व अन्य सुविधायें अनुमन्य होंगीः–

(1) मंत्री स्तर प्राप्त महानुभावों को रू0 11,000/– (रूपये ग्यारह हजार) प्रतिमाह मानदेय देय होगा।

(2) पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु मंत्री स्तर प्राप्त महानुभावों को ड्राइवर सहित एक स्टाफ कार अनुमन्य होगी। पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में मुख्यालय की यात्राओं हेतु 150 लीटर ईंधन प्रतिमाह की सीमा होगी तथा मुख्यालय से बाहर की यात्राओं हेतु वास्तविक खर्च के आधार पर ईंधन की अनुमन्यता होगी।

(3) पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु कार्यालय व आवास पर एक–एक टेलीफोन अनुमन्य होगा।

(4) पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एक निजी सचिव, एक वैयक्तिक सहायक एवं दो अनुसेवक समवर्ती रूप में (Co-Terminous) अनुमन्य होंगे।

(5) आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार उच्चादेश प्राप्त करके सम्बन्धित विभाग द्वारा आदेश जारी किये जायेंगे। सरकारी आवास प्राप्त न होने पर रू0 8,000/– (रूपये आठ हजार) प्रतिमाह की दर से मकान किराया भत्ता देय होगा।

(6) पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में रेल द्वारा यात्रा करने पर उपलब्ध उच्चतम श्रेणी में एक बर्थ तथा वायुयान द्वारा यात्रा की स्थिति में एक सीट अनुमन्य होगी।

(7) पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में मुख्यालय वह माना जायेगा जहां संबंधित विभाग/परिषद का कार्यालय हो तथा मुख्यालय से बाहर की ऐसी यात्राओं में रू0 500/–(रूपये पांच सौ) प्रतिदिन के अनुसार दैनिक भत्ता देय होगा तथा मंत्री स्तर प्राप्त महानुभाव अपने यात्रा बिलों के लिये स्वयं नियंत्रक प्राधिकारी होंगे।

(8) सुरक्षा के लिये एक अंगरक्षक उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) प्रत्येक मंत्री स्तर प्राप्त महानुभाव और उनके परिवार के सदस्य राज्य सरकार के अस्पतालों में निःशुल्क आवास और उन सिद्वान्तों के अनुसार जो मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री के लिये विहित किये गये हों, चिकित्सा परिचर्या के हकदार होंगें। परिवार से तात्पर्य संबंधित महानुभाव की पत्नी/पति, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहन से है जो स्तर प्राप्त महानुभाव के साथ रहते हों और उन पर पूर्णरूप से आश्रित हों।

(10) पदीय कर्तव्यों के पालन में की गयी यात्राओं के दौरान किसी किराये या विद्युत प्रभार का भुगतान किये बिना सर्किट हाउस या अन्य सरकारी निरीक्षण भवन में ठहरने की सुविधा होगी। स्थानीय सद्भाव उनके अपने विभाग या निगम या परिषद के स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिया जायेगा।

(11) स्तर प्राप्त महानुभावों के वेतन, वाहन, पर्सनल स्टाफ, टेलीफोन, यात्रा भत्ता आदि का व्यय भार उस विभाग या निगम या परिषद पर होगा जिसमें उन्हें अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सलाहकार या अन्य किसी पद पर नियुक्त किया गया है।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–463/NP/XXVII (5)/2009 दिनांक 14 दिसम्बर, 2009 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्या–26/1/XXI/2008–09 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री/समस्त मा0 मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण।
2. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. राज्य सम्पत्ति अधिकारी उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रधान कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।
12. प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव